भोजपुर समाहरणालय, आरा

(जिला भू–अर्जन कार्यालय)

पत्रांक 115/भू–अर्जन, दिनांक 5-2-19

प्रेषक,

समाहर्ता,
भोजपुर, आरा।

सेवा मे,

निदेशक,
एशियन डेवलपमेंट शोध संस्थान (आद्री),
पटना।

विषयः– राज्य उच्च पथ सं0 102 (बिहियां–जगदीशपुर–पीरो–बिहटा) पथ परियोजना अंतर्गत विभिन्न राजस्व ग्रामों में कुल 7.5407 एकड़ के भू–अर्जन हेतु आपसे प्राप्त सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रारूप प्रतिवेदन में लोक सुनवाई की तिथि दिनांक 15.02.2019 को निर्धारित करने के संबंध में।

प्रसंगः– इस कार्यालय के पत्रांक 67/भू0अ0, दिनांक 25.01.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि भोजपुर जिलान्तर्गत बिहियां–जगदीशपुर–पीरो–बिहटा (एस0एच0 102) पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु पत्रांक 67/भू0अ0, दिनांक 25.01.2019 के द्वारा भू–अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के आलोक में विभिन्न राजस्व ग्रामों में लोक सुनवाई की तिथि निर्धारित किया गया है। तिथि निर्धारण के क्रम में प्रासंगिक पत्र द्वारा तरारी प्रखंड के केवल राजस्व ग्राम सौना का उल्लेख है जबकि उक्त प्रखंड के तीन अन्य राजस्व ग्राम यथा मोआप बुजुर्ग कलां, सहियारा एवं मोआप खुर्द का भी लोक सुनवाई की कार्रवाई की जानी है।

अतः अनुरोध है कि तरारी प्रखंड के ग्राम सौना के साथ–साथ राजस्व ग्राम मोआप बुजुर्ग कलां, सहियारा एवं मोआप खुर्द का भी लोक सुनवाई की कार्रवाई निर्धारित तिथि 15.02.2019 समय 3:00 बजे अपराह्न में निश्चित स्थान Camp Office MGCPL सिकरहट्टा में सुनवाई किया जाएगा।

विश्वासभाजन
05.02.19
समाहर्ता,
भोजपुर, आरा।

ज्ञापांक 115/भू0अ0, दिनांक 5-2-19

प्रतिलिपिः– उप महाप्रबंधक (तक0) बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शेखपुरा, पटना को सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन प्रतिवेदन की प्रति संलग्न कर भेजते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, भोजपुर, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, भोजपुर, आरा को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश है कि सुनवाई की निर्धारित तिथि को जिला के वेबसाईट पर डालने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी, पीरो/भूमि सुधार उप समाहर्ता, पीरो को लोक सुनवाई में भाग लेने हेतु सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अंचल अधिकारी तरारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तरारी/अंचल निरिक्षक तरारी/राजस्व कर्मचारी तरारी/संबंधित ग्राम पंचायत सचिव को लोक सुनवाई में भाग लेने हेतु सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मुखिया, संबंधित ग्राम पंचायत को लोक सुनवाई में भाग लेने हेतु सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक, भोजपुर, आरा को सूचनार्थ एवं निर्धारित तिथि 15.02.2019 को सुनवाई स्थल पर विधि व्यवस्था संधारण करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निदेशक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

05.02.19

समाहर्ता,
भोजपुर, आरा।